(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन/अपील/भिण्ड/लो.न्यास अधि./2017/3002 - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-5-2017 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी सह पब्लिक रजिस्ट्रार भिण्ड - प्रकरण 01/2016-17 बी-113

1- ब्रम्हालाल शिवहरे पुत्र बसंतलाल वीरेन्द्र नगर भिण्ड
2- आसुतोष जोशी पुत्र मेघनाथ अग्रवाल कालोनी भिण्ड
3- रामकुमार पाठक पुत्र दीनानाथ
4- संतोषकुमार पुत्र रामस्वरूप शर्मा
5- शंभूसिंह पुत्र दामोदर सिंह कुशवाह
6- राजेशसिंह पुत्र अजबसिंह चौहान सभी निवासीगण
वाटर वर्क्स रोड भिण्ड मध्य प्रदेश
7- विश्वजीत सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह कुशवाह
8- कोशलेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह भदौरिया
9- हरपाल सिंह पुत्र महेशसिंह तौमर सभी निवासीगण
नबादा भिण्ड मध्य प्रदेश
10-दीपसिंह पुत्र बीरसिंह तौमर, बंगला बाजार भिण्ड
11-प्रमोद पुत्र दीपसिंह तौमर अरोरा फार्म भिण्ड ----अपीलान्टस्

विरूद्ध

सुमेर चन्द्र अग्रवाल पुत्र मायाचन्द्र
बंगला बाजार भिण्ड, मध्य प्रदेश --- रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट्स के अभिभाषक श्री मनोज कुलश्रेष्ठ)
(रिस्पाण्डेन्ट के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)

आ दे श

(आज दिनांक 10-01-2019 को पारित)

यह अपील अनुविभागीय अधिकारी सह पब्लिक रजिस्ट्रार भिण्ड द्वारा प्रकरण 01/2016-17 बी-113 में पारित आदेश दिनांक 19-5-2017 के विरूद्ध म0प्र0लोक न्याय अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पा0 ने अनुविभागीय अधिकारी सह रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भिण्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि पुराने रेल्वे

स्टेशन के पास बंगला बाजार भिण्ड स्थित 70 फीट चौड़ी पूरब-पश्चिम व 130 फीट गहरी दक्षिण पार्क हेतु दी गई जगह , जिसमें दुकानात भी बनी है, गुलाबचंद/मायाचंद अग्रवाल ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन हेतु नियमावली सहित प्रस्तुत है। अनुविभागीय अधिकारी सह रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भिण्ड ने प्रकरण 01/2016-17 बी-113 पॅजीबद्व किया तथा विज्ञप्ति का प्रकाशन करने के उपरांत सुनवाई कर आदेश दिनांक 19-5-2017 पारित किया तथा प्रस्तुत बायलाज मान्य करते हुये ट्रस्ट का पॅजीयन प्रमाण पत्र जारी किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट्स के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सह रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भिण्ड ने पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के आशय को समझने में भूल की है एंव समस्त हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा ट्रस्ट गठन की प्रकिया का पालन किये बिना आनन फानन में आदेश पारित किया है। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भिण्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि जिस ट्रस्ट का वह गठन कर रहे है उसके सभी सदस्य बाहर के व्यक्ति हैं जिस स्थान पर ट्रस्ट गठन किया गया है उसी स्थान पर अपीलांट्स पैत्रिक जमाने से दुकानदारी करते आये हैं जिन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनाया जाना चाहिये था। रिस्पा. ने रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट के समक्ष मुकेश एंव मनोज कुमार के साक्ष्य में कथन कराये है जिन पर प्रतिपरीक्षण का किसी को मौका नहीं दिया गया है। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट ने किसी भी दुकानदार को सुनवाई के लिये तलब नहीं किया है और कोई सूचना भी नहीं दी है इसलिये समस्त कार्यवाही एकपक्षीय होने से निरस्त की जावे।

रिस्पा. के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलांटस द्वारा सार्वजनिक हित के ट्रस्ट की दुकानों पर जबरन कब्जा कर रखा है एंव मनमानी करके ट्रस्ट को किराया भी नहीं देते हैं। वाद विचारित भूमि एंव निर्मित दुकानें सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्ति है जिसका गठन पब्लिक के हित में होना जरूरी था जिसके कारण ट्रस्ट का गठन करके पंजीयन कराया गया है। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भिंड ने भलीभॉति जांच परख करके आम नागरिकों के हित में ट्रस्ट का गठन किया है इसलिये मामला सार्वजनिक हित का होने से अपील व्यर्थ है जिसे निरस्त किया जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर प्रथम दृष्टया ध्यान देने योग्य है कि क्या म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम,1951 के अंतर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट द्वारा की गई कार्यवाही अथवा पारित आदेश के विरूद्व राजस्व न्यायालय

में अपील/ निगरानी प्रचलन-योग्य है ? म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम,1951 की धारा 7 एंव 8 इस प्रकार है :-

7- पॅजीयक द्वारा रजिस्टर में प्रविष्टियॉ करवाना -

(1) पंजीयक धारा 6 के अंतर्गत उसके द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियां करवाएगा और उसके कार्यालय के सूचना पटल पर रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को प्रकाशित करवाएगा।

(2) इस प्रकार की गई प्रविष्टियां इस प्रावधान के अध्यधीन होंगी और इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन अभिलिखित किसी परिवर्तन अथवा इसके अंतर्गत निर्मित नियम के अध्यधीन अंतिम और निश्चयात्मक होंगी।

8- पॅजीयक के निष्कर्ष के विरूद्व सिविल वाद -

(1) धारा 6 के अंतर्गत पंजीयक के किसी निष्कर्ष से व्यथित कार्यकारी न्यासी अथवा लोक न्यास या न्यास संपत्ति के रूप में प्राप्त किसी संपत्ति में हित रखने वाला कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह के भीतर ऐसे निष्कर्ष को अपास्त करने अथवा उपांतरित करने के लिए सिविल वाद संस्थित कर सकेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक वाद में सिविल न्यायालय राज्य सरकार को पंजीयक के माध्यम से सूचना देगा और यदि राज्य सरकार यदि ऐसी वांछा करती है तो वाद में उसे पक्षकार बनाया जाएगा।

(3) वाद के अंतिम निर्णय पर पंजीयक यदि आवश्यक हो तो ऐसे निर्णय के अनुसार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को सही करेगा।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी सह पब्लिक रजिस्ट्रार भिण्ड द्वारा प्रकरण 01/2016-17 बी-113 में म0प्र0लोक न्याय अधिनियम 1951 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 19-5-2017 के विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील सुनवाई योग्य नहीं होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है। राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक दो/विविध/भिण्ड/भू.रा0/2017/4347 पर भी यह आदेश लागू होने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर